राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1517/2012/भीलवाडा

मैसर्स पाटनी कन्स्ट्रक्शन,
भीलवाड़ा .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स,भीलवाड़ा ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 175/वैट/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 26.05.2010 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.04.2012 द्वारा प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनकर पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.05.2012 पारित कर दिया गया है। अतः अपील सारहीन हो जाने से खारिज होने योग्य है।

3. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य